

न्यायालय:दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील-  
बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.क्रमांक-84 / 2015

संस्थित दिनांक-09.01.2014

फाई.नम्बर-300210 / 2014

इन्द्रकला डोंगरे आयु 40 वर्ष पति सालिकराम डोंगरे  
जाति महार निवासी हुड्डीटोला दलदला तहसील बैहर  
जिला- बालाघाट म.प्र.। हाल मुकाम-ग्राम पो. गुदमा(उकवा)  
थाना रूपझर तहसील परसवाडा जिला बालाघाट म.प्र. — — — — — आवेदिका

// विरुद्ध //

सालिकराम आयु 45 वर्ष, पिता काशीराम डोंगरे जाति महार  
निवासी- निवासी हुड्डीटोला दलदला थाना रूपझर  
तहसील परसवाडा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अनावेदक

// आदेश //

(आज दिनांक-22/07/2017 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-09.01.2014 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका इन्द्रकला डोंगरे का अनावेदक सालिकराम से दिनांक-29.05.1995 को ग्राम गुदमा में विवाह हुआ था। आवेदिका ने अनावेदक के पुत्र रोहित 10 वर्ष, पुत्री ऊषा 06 वर्ष को जन्म दिया था जो वर्तमान में आवेदिका के साथ रहते हैं। अनावेदक ने आवेदिका को उसकी बीमारी की हालत में आवेदिका के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर उसे घर से निकाल दिया था। आवेदिका को अनावेदक ने एक वर्ष तक ठीक से रखा था उसके बाद अनावेदक शराब के नशे में भावनात्मक दुर्व्यहार कर प्रताड़ित करता था। आवेदिका अनावेदक की प्रताड़ना को सहती रही थी परंतु अनावेदक के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बदलाव

नहीं हुआ था। दिनांक 10.10.2012 को आवेदिका बहुत बीमार हुई थी। अनावेदक ने आवेदिका का ईलाज नहीं कराया था एवं उसे घर से निकाल दिया था। आवेदिका दिनांक 10.10.2012 को उसके मायके गुदमा पहुंच गयी थी। तभी से वह वहां रह रही है। अनावेदक ने आवेदिका की उसके बाद से कोई खोज खबर नहीं ली है। आवेदिका के मायके में उसका एक भाई व वृद्ध माँ है जो अकेली रहती है। आवेदिका बीमारी हालत के कारण कोई घरेलू कार्य नहीं कर पाती है। आवेदिका के भरण-पोषण, ईलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। आवेदिका की आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अनावेदक की है। अनावेदक उकवा माईन में बी.जी.टी. कंपनी में कार्य करता है जिससे उसे प्रतिमाह दस हजार रुपये, वार्षिक एक लाख बीस हजार रुपये की आय होती है। अनावेदक के नाम से चार एकड़ कृषि भूमि है जिससे धान व गेहूँ से उसे एक लाख रुपये की आमदानी होती है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि अनावेदक से उसे आवेदन की प्रार्थना के अनुसार भरण-पोषण राशि दिलायी जावे।

3— अनावेदक की ओर से आवेदिका के आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर आवेदिका के आवेदन के चरण एक को स्वीकार कर शेष आवेदन को अस्वीकार कर विशेष कथन में बताया है कि विवाह के पश्चात आवेदिका लगभग पांच छः वर्ष पश्चात अनावेदक को बगैर बताये घर में रखे कपडे पैसे लेकर उसके मायके ग्राम गुदमा चली गयी थी। अनावेदक एवं उसके रिश्तेदार आवेदिका को लेने ग्राम गुदमा गये थे तो अनावेदक एवं उसके रिश्तेदारों से आवेदिका एवे उसके भाई बबलू निकोसे ने कहा था कि आवेदिका अनावेदक के साथ नहीं रहना चाहती है और ग्राम गुदमा में ही रहना चाहती है। तब गांव समाज के लोगो ने आवेदिका को समझाया था कि पति के साथ ही जीवन निर्वाह होगा। आवेदिका एवं उसके भाई अनावेदक से विवाद किया था। तब अनावेदक एवं उसके रिश्तेदारो ने पुलिस चौकी उकवा में आवेदिका की रिपोर्ट लिखायी थी। तब अनावेदक द्वारा पुनः सर्किल बैठक जाति समाज की ग्राम उकवा में रखी थी जहां समाज के लोगो द्वारा आवेदिका को समझाने पर आवेदिका अनावेदक के साथ ग्राम उकवा हुड्डीटोला दलदला में रहने लगी थी। आवेदिका के बीमार होने पर अनावेदक ने आवेदिका का ईलाज उकवा एवं बालाघाट में करवाया था। आवेदिका आये दिन उसके मायके चली जाती थी। आवेदिका अपने छोटे-छोटे बच्चे पुत्र रोहित व पुत्री ऊषा को

छोड़कर अपने मायके चली गयी थी। अनावेदक आवेदिका को लेने उसके मायके गया था। लेकिन आवेदिका ने अनावेदक के साथ आने से इंकार कर दिया था। अनावेदक गरीब निर्धन भूमिहीन व्यक्ति है। जिसके पास आश्रित वृद्ध मां एवं नाबालिग बच्चे रोहित, ऊषा हैं जिनका भरण पोषण पढ़ाई लिखाई अनावेदक ही करता है। अनावेदक के पास आय का ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वह पृथक-पृथक भरण-पोषण कर सके। आवेदिका अपना भरण-पोषण व ईलाज करने में सक्षम है। अनावेदक आवेदिका को अपने साथ में रखकर मां, बच्चों का भरण पोषण करने को तैयार है। अनावेदक ने आवेदिका का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4— आवेदन के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं :-

1. क्या आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नि है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5— समस्त विचारणीय बिन्दु एक-दूसरे संबंधित हैं, साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

6— आवेदिका इंद्रकला डोंगरे आ.सा.01 ने उसके मौखिक कथन में आवेदन का समर्थन करते हुए अभिकथित किया है कि आवेदिका का दिनांक 29.05.1995 को अनावेदक के साथ विवाह हुआ था। अनावेदक उसका पति है। रोहित एवं ऊषा आवेदिका के पुत्र पुत्री हैं। अनावेदक ने आवेदिका को एक वर्ष तक ठीक से रखा था। उसके बाद बीमार होने पर अनावेदक ने आवेदिका का ईलाज नहीं कराया था एवं अनावेदक आवेदिका के साथ मारपीट करता था। आवेदिका की तबियत ठीक होने के बाद सामाजिक बैठक रखी गयी थी। समाज के लोगों ने अनावेदक को बैठक में समझाया था फिर आवेदिका अनावेदक के साथ चली गयी थी। अनावेदक ने आवेदिका

का ईलाज नहीं कराते हुए कुछ दिनों के बाद ही आवेदिका के साथ मारपीट कर उसे परेशान करने लगा था। आवेदिका उसके मायके में वर्ष 2012 से रह रही है। उसके बाद से अनावेदक आवेदिका को कभी लेने नहीं आया है। आवेदिका बीमार रहती है। आवेदिका का ईलाज उसका भाई कराता है। बीमार रहने के कारण आवेदिका कोई काम धंधा नहीं करती है। आवेदिका के ईलाज, खाना, कपड़ा के लिए पांच हजार रुपये का खर्च आता है। अनावेदक उकवा माइन में ठेकेदारी का काम करता है जिससे वह प्रतिमाह दस हजार रुपये की आय अर्जित करता है। अनावेदक के पास चार एकड़ कृषि भूमि है जिस पर दोनो फसलें होती हैं। अनावेदक को दोनो फसलों से एक लाख रुपये की आय होती है। अनावेदक आवेदिका को पांच हजार रुपये अदा करने में समक्ष है।

7— आवेदिका ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को गलत होना बताया है कि वह अनावेदक को बिना बताये उसके मायके चली जाती थी। आवेदिका ने इस बात को भी गलत होना बताया है कि वह अनावेदक के साथ नही रहना चाहती है। आवेदिका ने इस बात को भी गलत होना बताया है कि अनावेदक उसे रखना चाहता है। लेकिन आवेदिका अनावेदक एवं उसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में आवेदिका ने इस बात को अवश्य स्वीकार किया है कि दो वर्ष पूर्व वह अनावेदक के घर से अपने मायके चली गयी थी। इसके अतिरिक्त इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में और कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं आये हैं। अनावेदक की ओर से आवेदिका पर विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। लेकिन आवेदिका उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रही है। अनावेदक की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस बात का खण्डन नहीं हुआ है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नि नहीं है। आवेदिका की साक्ष्य का अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदिका ने अनावेदक की ठेकेदारी एवं आय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि अनावेदक कोई आय प्राप्त नहीं करता है। अनावेदक हष्टपुष्ट व्यक्ति है और वह अपने जीवन यापन के लिए आय अर्जित करता है। अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण करने में समक्ष है। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका का भरण-पोषण करने से उपेक्षापूर्वक इंकार किया है।

8— आवेदिका की ओर से मौखिक साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि वह अनावेदक की विवाहिता पत्नि है। आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। पत्नि के भरण-पोषण का दायित्व पति पर होता है। किंतु अनावेदक ने आवेदिका के भरण-पोषण करने में उपेक्षा की है। आवेदिका के रहन-सहन, वर्तमान समय की महंगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि अनावेदक, आवेदिका को 1,200/—( एक हजार दो सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करेगा तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख 10 को निरंतर अदा करता रहेगा। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

9— अनावेदक, आवेदिका का व्यय वहन करेगा।

10— आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,  
बैहर, बालाघाट म0प्र0

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,  
बैहर, बालाघाट म0प्र0